

# द्वारालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 115 / 2018

1. स्वरूप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी बूबानिया

उनवान

— वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत


बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र गंगा सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह
3. पप्पू सिंह पुत्र गंगा सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र भैरू सिंह
5. बाबू सिंह पुत्र भैरू सिंह
6. जय सिंह पुत्र भैरू सिंह
7. भगवान सिंह पुत्र बाघ सिंह
8. उंकार सिंह पुत्र बाघ सिंह
9. कल्याण सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत निवासी बूबानिया
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
11. नन्द सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया हाल निवास मकान नम्बर 254 कच्ची बस्ती लंकापुरी विजयनगर भोमाजी का मंदिर शास्त्री नगर जयपुर
12. प्रभू सिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया हाल निवास 4/9 ग्राम सालाना केलगिरी हास्पीटल के पीछे मालवीय नगर जयपुर
13. जीवन सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया हाल निवास बिल्याकलॉ ग्राम पंचायत खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
14. रतन कंवर पत्नी रतनकंवर
15. दिलीप सिंह पुत्र रतन सिंह
16. जसवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह
17. सुनिताकंवर पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया हाल निवास गोविन्द नगर सी 11 प्लॉट नम्बर 260 निवारू रोड झोटवाडा जयपुर



— प्रतिवादीगण :-जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 640/628 खसरा नम्बर 1309, 1311, 1312, 1343, 1344, 2035/3178, 2035/3177, 2035/3179, 2107, 2108, 2109, 2126, 2127, 2129, 2211, 2212, 2213, 2217, 2219, 2424, 2425 रकबा 0.15, 0.07, 0.08, 0.11, 0.10, 0.11, 0.19, 0.12, 0.07, 0.10, 0.31, 0.17, 0.15, 0.26, 0.40, 0.47, 0.46, 0.56, 0.45, 0.28, 0.12 खाता संख्या 639/453 खसरा नम्बर 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 रकबा 0.15, 0.15, 0.11, 0.12, 0.16, 0.16, 0.21 ग्राम बूबानिया में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहकार्यकारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र ब्य बेचान रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से जाबद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 15 से 17 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 11 से 14 ने जवाब पेश कर जाहिर किया की प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी।


1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर विभाजन प्राप्ति के अधिकारी हैं?

—वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार जमाबन्दी, दस्तावेज प्रस्तुत किये। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं होने पर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।


  
उपसुपुण्ड अधिकारी  
नमीरावाद ( अजमेर )

संख्या :- 01, 02  
द्वारा ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 640/628 खसरा नम्बर 1309, 1311, 1312, 1343, 1344, 2035/3178, 2035/3177, 2035/3179, 2107, 2108, 2109, 2126, 2127, 2129, 2211, 2212, 2213, 2217, 2219, 2424, 2425 रकबा 0.15, 0.07, 0.08, 0.11, 0.10, 0.11, 0.19, 0.12, 0.07, 0.10, 0.31, 0.17, 0.15, 0.26, 0.40, 0.47, 0.46, 0.56, 0.45, 0.28, 0.12 खाता संख्या 639/453 खसरा नम्बर 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 रकबा 0.15, 0.15, 0.11, 0.12, 0.16, 0.16, 0.21 आधार जमाबन्दी संवत् 2069-2072 प्रस्तुत की गई है। आराजी मुतनाजा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते हैं। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 640/628 खसरा नम्बर 1309, 1311, 1312, 1343, 1344, 2035/3178, 2035/3177, 2035/3179, 2107, 2108, 2109, 2126, 2127, 2129, 2211, 2212, 2213, 2217, 2219, 2424, 2425 रकबा 0.15, 0.07, 0.08, 0.11, 0.10, 0.11, 0.19, 0.12, 0.07, 0.10, 0.31, 0.17, 0.15, 0.26, 0.40, 0.47, 0.46, 0.56, 0.45, 0.28, 0.12 खाता संख्या 639/453 खसरा नम्बर 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 रकबा 0.15, 0.15, 0.11, 0.12, 0.16, 0.16, 0.21 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.7.21 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्ली व मुकदमें इन्वॉई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


स्वरूप सिंह बनाम भंवर सिंह

दावा बाबत :- 53, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -115/2018  
पेश करने की दिनांक - 6.8.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई सुखदेव चौधरी मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि :-

ग्राम बूबानिया के खाता संख्या 640/628 खसरा नम्बर 1309, 1311, 1312, 1343, 1344, 2035/3178, 2035/3177, 2035/3179, 2107, 2108, 2109, 2126, 2127, 2129, 2211, 2212, 2213, 2217, 2219, 2424, 2425 रकबा 0.15, 0.07, 0.08, 0.11, 0.10, 0.11, 0.19, 0.12, 0.07, 0.10, 0.31, 0.17, 0.15, 0.26, 0.40, 0.47, 0.46, 0.56, 0.45, 0.28, 0.12 खाता संख्या 639/453 खसरा नम्बर 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 रकबा 0.15, 0.15, 0.11, 0.12, 0.16, 0.16, 0.21 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को उतारी करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 7 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद